न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **158/08 (वाद)**

1. श्री बालुराम पिता मोती डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्रीमती रतनबाई पुत्री मोती डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
3. श्रीमती वालीबाई विधवा मोती डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली। .....वादीगण

बनाम्

1. श्री कन्ना पिता धन्ना डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्री पदा पिता गोदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
3. श्री दल्ला पिता परथा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
4. श्री रामा पिता परथा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5. श्री भगवान पिता भज्जा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

5/1 श्री वेणा पिता भगवान डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5/2 श्री वीरम पिता भगवान डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5/3 श्रीमती कमली पिता भगवान पत्नी चेना डांगी निवासी विठोली तह. मावली।
5/4 श्रीमती चम्पा पिता भगवान पत्नी बाबु डांगी निवासी बेमाला तह. मावली।
5/5 श्रीमती केशी पत्नी भगवान डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

6. श्री चेना पिता भज्जा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
7. श्री भोलिया पिता लखमा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8. श्री उदा पिता लखमा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

8/1 श्री भेरा पिता उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/2 श्री सवा पिता उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/3 श्री किसना पिता उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/4 श्रीमती देवली पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/5 श्रीमती पुष्पा पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/6 श्रीमती नारायणी पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/7 श्रीमती सुशिया पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

9. श्री अमरा पिता वरदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

9/1 श्री मेघा पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/2 श्री भमरू पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/3 श्री गोपीलाल पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/4 श्री लालुराम पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/5 श्रीमती प्यारी पुत्री अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/6 श्रीमती दलु पुत्री अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/7 श्रीमती नानी पत्नी अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

10. श्री भेरा पिता सवा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
11. श्री चौखा पिता सवा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
12. भंवर बेवा धन्ना डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
14. श्री चन्द्रप्रकाश पिता गणेशलाल चौधरी निवासी नाहरमगरा तह. मावली।
15. श्री कालुलाल पिता भंवरलाल बंजारा निवासी बंजारा खेडा, नाहरमगरा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जोध सिंह सारंगदेवोत, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक 26.03.2018

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालेरा कलां की आ.न. 1721 रकबा 10 बीघा के खातेदार कन्ना पिता धन्ना, पदा पिता गोदा 1/3, रामा पिता परथा, एवं वादीगण व भगवान , चैना पिता भज्जा 1/3, भेरा, उदा पिता लखमा अमरा पिता वरदा, भेरा, चौखा, पेमा, गांगा पिता सवा 1/2 हिस्सा दर्ज है परन्तु पेमा व गांगा ला औलाद फौत हो गए है इसी तरह खातेदार मोती पिता उदा का देहान्त हो गया है, उसके वादीगण वारिसान है। परिशिष्ठ ख के आ.न. 1927/1788 रकबा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार पदा पिता जोधा, कन्ना पिता वाला, भगवान, चेना पिता भग्गा, भंवरी बेवा धन्ना, दल्ला, रामा, पिता परथा, मोती पिता उदा, के बजाय वादीगण बालुराम, रतनबाई, वालीबाई खातेदार है। परिशिष्ठ ग के आ. न. 1335 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार पदा पिता गोदा, भग्गा पिता भज्जा, रूपा, लखा, अमरा पिता वरदा, भगवान, चैना, दल्ला, रामा पिता परथा, 1/3 वादीगण का 1/3 भगवाना चैना पिता माना का 1/3 हिस्सा भंवरी बेवा धन्ना, रामा पिता परथा व वादीगण का हिस्सा बराबर खातेदार है। परिशिष्ठ घ के आ.न. 653, 828, 838 किता 3 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार दल्ला, रामा पिता परथा 1/3, वादीगण 1/3, भगवान, चैना पिता माना 1/3 रिकार्ड मे दर्ज है। परिशिष्ठ ड. की आ.न. 924, 925 किता 2 रकबा 17 बिस्वा भूमि के खातेदार भगवान, चैना पिता भज्जा 1/3, भंवरी बेवा, धन्ना, रामा पिता परथा 1/3, वादीगण 1/3 है। उपरौक्त परिशिष्ठ क,ख,ग,घ,ड, में वर्णित भूमि भिन्न भिन्न प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है। एवं परिशिष्ठ क में कन्ना , पदा 1/3, दल्ला, रामा , परथा, एवं वादीगण भगवान, चैना पिता धन्ना का 1/3 हिस्सा दर्ज है इसी तरह उदा, गांगा, अमरा पिता वरदा, भेरा, चौखा गेगा, पिता सवा का 1/2 हिस्सा लिखा है वह 1/2 हिस्सा नहीं होकर रिकार्ड में 1/3 हिस्सा होना चाहिए यह हिस्सा गलत अंकन किया गया है। मोती का देहांत हो चुका है नामान्तरकरण हम वादीगण के नाम खुल चुका है परन्तु आ.न. 1721 में मोती के नाम ही हे जो मोती के जगह हम वादीगण के खातेदारी काश्तकार घोषित कराया जावे। इसी तरह परथा पिता उदा भी मर चुका है, उसके धन्ना, रामा, है, उनका नाम रिकार्ड मे दर्ज कराया जावे। एवं भूमि

का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा कराया जाने का निवेदन किया।

2. अतः प्रार्थना है कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार बंटवाडा कराया जावे। एवं मोती पिता उदा की जगह वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे इसी तरह रामा, दल्ला पिता परथा को परथा की जगह खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे। एवं उदा, गांगा पिता लखमा ला–औलाद फौत हो गए है उनके वारिसान भेरा व चोखा ही है, उदा गांगा का नाम हटाया जावे, आ.न. 1721 में जहां रिकार्ड में 1/2 हिस्सा अंकन है, वहां 1/3 हिस्सा अंकन कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वे वादीगण को काश्त करने में उनके अधिकार आधिपत्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे ।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 से 11 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। **वादी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 6.01.2015 को वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया।** प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 6 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मूल पुरूष स्व. गोपाजी थे जिनके तीन पुत्र सन्ताने अर्थात स्व. उदा, स्व.वरदा, स्व. वगता पुत्र हुए। स्व. उदा के पुत्र मोती हुआ। मोती की पत्नी वाली, पुत्र बालूराम और पुत्री श्रीमती रतनबाई वादीगण है। स्व. मोती के भाई स्व. परगि के पुत्र दल्ला और रामा तथा पुत्र वधू भंवरी प्रतिवादीगण हैं स्व. मोती के तीसरे भाई स्व. भज्जा के पुत्र चेना और भगवान(भग्गा) इस वाद में प्रतिवादीगण है। स्व. गोपा जी के पुत्र स्वर्गीय वरदा के तीनों पुत्र अर्थात स्व. सवा, स्व. लखा और स्व. अमरा हुए। इस वाद में स्व. अमरा को प्रतिवादी सं. 9, स्व. लखमा के पुत्र स्व. उदा को प्रतिवादी सं. 8 गलत पक्षकार बनाये है। उनके वारीसों को पक्षकार बनाना चाहिये था। जिनके नाम सजरे में अंकित है।

4. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 1721 रकबा 10 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण दल्ला, रामा पिता परथा और श्रीमती भंवरी बेवा धन्ना का 1/9 पुश्तैनी हिस्सा हैं तथा भगवान, चेना पिता परथा का भी पुश्तैनी 1/9 हिस्सा हैं। उदा का 1/9 हिस्सा इस आराजी में था जिसके 1/2 हिस्सें को दल्ला, रामा पिता परथा ने मोती से खरीद लिया है और शेष 1/2 हिस्सें को भगवान, चेना दोनों भाईयों ने स्व. मोती से खरीद लिया हैं। इसलिए भगवान और चेना दोनों भाईयों का इस आराजी में

अपना 1/9 एवं मोती से खरीदा 1/18 हिस्सा जुमला 1/6 हिस्सा हो गया है जो भगवान, चेना इस आराजी में 1/6 हिस्सें के खातेदार हो जाने की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। इस आराजी में स्व. मोती के 1/18 हिस्सा दला, रामा पिता परथा ने खरीद लिया है जिस वजह से दल्ला का अपना पुश्तैनी 1/27 तथा रामा का पुश्तैनी 1/27 तथा मोती से खरीदा 1/18 हिस्सा जुमला 7/54 हिस्सें के दल्ला, रामा को खातेदार तथा श्रीमती भंवरी बेवा धन्ना को 1/27 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना जरूरी हैं।

5. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 1927/1788 रकबा 10 बिस्वा में प्रतिवादीगण चेना, भगवान पिता भज्जा का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा हैं। प्रतिवादीगण दला, रामा औरा भंवरी का भी 1/6 हिस्सा पुश्तैनी है। वादीगण के पिता स्व. मोती सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 में से 1/2 अर्थात् 1/12 हिस्सा चेना और भगवान पिता भज्जा ने खरीद लिया है सो दोनों का 1/6 + 1/12 = 3/12 हिस्सा हो गया है। खरीदने का वर्णन उपर आ चुका है भगवान और चेना प्रतिवादी इस आराजी में अपना 3/12 हिस्सा की घोषणा कराने के अधिकारी हैं।
6. प्रतिवादीगण दल्ला, रामा पिता परथा ने इस आराजी नम्बर 1927/1788 में स्व. मोती पिता उदा के हिस्सें 1/6 में से निस्फल 1/2 को खरीद लिया है जिस वजह से दला का और रामा का अपना पुश्तैनी हिस्सा 1/18, 1/18 एवं मोती का 1/12 खरीदा जो मिलाकर दला, रामा का 7/36 हिस्सा एवं श्रीमती भंवरी बेवा धन्ना का 1/18 हो गया हैं। सो इसी अनुसार घोषणा कराने का निवेदन हैं।
7. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 1335 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में स्व. मोती पिता उदा का 1/6 हिस्सा तथा उसके भाई परथा और भजा का भी 1/9, 1/9 खातेदारी अधिकार का स्व. मोती ने अपने 1/9 हिस्सें के 1/2 हिस्सें को दला, रामा पिता परथा को और शेष 1/2 हिस्से को चेना, भगवान पिता भजा को बेच दिया है जिसका वर्णन उपर आ चुका हैं। इस वजह से दला का अपना पुश्तैनी 1/27 एवं रामा का भी 1/27 पुश्तैनी हिस्सा तथा मोती से खरीदा 1/18 हिस्सा हो गया है जिस वजह से रामा, दला पिता परथा का इस आराजी में 1/27 + 1/27 + 1/18 अर्थात् 7/54 हिस्सा हो गया है और श्रीमती भंवरी बेवा धन्ना का 1/27 हिस्सा हैं। श्री भगवान और श्री चेना का 3/18 हिस्सा हो गया हैं।
8. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 653, 828, 838 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में वादीगण के पिता का 1/3 हिस्सा था। स्व. परथा पिता उदा का भी 1/3 हिस्सा

था जिसके वारिस पुत्र दला, रामा, पुत्रवधु भंवरी है जिनका प्रत्येक का 1/9 हिस्सा खातेदारी अधिकार है। स्व. मोती पिता उदा का 1/3 हिस्सा में से निस्फल 1/6 हिस्सा दला, रामा पिता परथा ने खरीद लिया है जिस वजह से दला, रामा का इस आराजी में 1/9 + 1/9 + 1/6 खरीदा हिस्सा अर्थात् 7/18 हिस्सा हो गया है और श्रीमती भंवरी का 1/9 हिस्सा हो गया है, प्रतिवादीगण भगवान, चेना पिता भजा का इसमें 1/2 हिस्सा हो गया हैं।

9. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 925 बाडा में वादीगण के पिता का 1/3 हिस्सा था। प्रतिवादीगण भगवान और चेना दोनों भाईयों का 1/3 हिस्सा है तथा भंवरी, दला, रामा का भी 1/3 हिस्सा हैं। प्रतिवादी चेना ने स्व. मोती पिता उदा के हिस्सें 1/3 हिस्से सम्पूर्ण को खरीद लिया है जिसका वर्णन उपर कर दिया है सो प्रतिवादी चेना पिता भजाजी का इस आराजी में 1/2 पुश्तैनी और 1/3 स्व. मोती से खरीदा जो मिला कर 1/2 हिस्सा हो गया है। जिसकी घोषणा कराने के लिए निवेदन हैं।

10. अतः निवेदन है कि मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 1721 रकबा 10 बीघा का प्रतिवादीगण भगवान, चेना पिता भजा डांगी को 1/6 हिस्सें का एवं प्रतिवादीगण दला, रामा पिता परथा डांगी को 7/54 हिस्सें का एवं भंवरी बेवा धना को 1/27 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावें।

11. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 1927/1788 रकबा 10 बीघा का प्रतिवादीगण भगवान, चेना पिता भजा को 3/12 हिस्सें का एवं प्रतिवादीगण दला, रामा पिता परथा डांगी 7/36 हिस्सें का, श्रीमती भंवरी बेवा धन्ना को 1/18 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

12. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 1335 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का प्रतिवादीगण भगवान, चेना पिता भजा का 1/6 हिस्सें का, प्रतिवादीगण दला, रामा पिता परथा को 7/54 हिस्सा का, तथा श्रीमती भंवरी बेवा धन्ना डांगी को 1/27 हिस्सें का खातेदार घोषित फरमाया जावें।

13. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 653, 828, 838 कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा का प्रतिवादी भगवान, चेना पिता भजा डांगी को 1/2 हिस्सें के खातेदार एवं श्री दला, रामा पिता परथा को 7/18 हिस्सें का तथा श्रीमती भंवरी बेवा धना को 1/9 हिस्सें का खातेदार घोषित फरमाया जावें।

14. मौजा सालेराकलां की आराजी नम्बर 925 वाडा रकबा 4 बिस्वा का प्रतिवादी चेना पिता भजा डांगी को 1/2 हिस्सें का, प्रतिवादी भगवान को 1/6 हिस्सा का प्रतिवादीगण दला, रामा और प्रतिवादीयां श्रीमती भंवरी बेवा धन्ना को 1/3 हिस्सें का खातेदार घोषित कराया जावें और वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।
15. अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद के समर्थन में गवाह साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री चेना, डीडब्ल्यू 2 श्री दला, डीडब्ल्यू 3 श्री रामप्रताप, डीडब्ल्यू 4 श्री खेमराज, डीडब्ल्यू 5 श्री डालचन्द, डीडब्ल्यू 6 श्री रामनारायण, डीडब्ल्यू 7 श्री कूका का शपथ पत्र पेश किया गया।
16. प्रतिवादी द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में दस्तावेज विक्रय ईकरार स्टाम्प दिनांक 20.11.95 प्रदर्श ए 1, विक्रय ईकरार प्रदर्श ए 2, विक्रय ईकरार प्रदर्श ए3, खतौनी प्रदर्श 4 ए से 7 ए पेश किया।
17. प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में नजीर (SC) AIR 2003 (SC) page 1905 प्रस्तुत कर प्रतिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रतिवाद स्वीकार कर प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का निवेदन किया।
18. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि पक्षकारों की पैतृक कृषि भूमि होना बताया है जो इनके पूर्वज श्री गोपा जी डांगी के खातेदारी की थी जो गोपा जी से विरासत से उदा, वरदा, वगता डांगी को विरासत से प्राप्त हुई है। आपसी बंटवाडे से भूमि आराजी नम्बर 1721 रकबा 10 बीघा भूमि स्व. उदा के हिस्से आई जो उदा के मृत्यु के पश्चात् विरासत से उसके पुत्र मोती, परथा, भजा के कब्जे में आई। उक्त आराजी में से जो भूमि मोती के हिस्से में थी उसके उसके भाई परथा ने रखी एवं उसके एवज में आराजी नम्बर 1335 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि मोती के रखी। जिसका आधा हिस्सा मोती ने प्रतिवादी चेना एवं उसके भाई भगवान को 25000/— पच्चीस हजार रूपये में 15/— रूपये के स्टाम्प पर विक्रय ईकरार लिखा जाकर दिनांक 20.11.95 को विक्रय कर दी जो दस्तावेज प्रदर्श 2 ए है। आधा हिस्सा भूमि मोती ने अपने भतीजे श्री दला, रामा पिता परथा को 25000/— पच्चीस हजार रूपये में विक्रय ईकरार लिख विक्रय करना बताया है जो दस्तावेज प्रदर्श 3 ए है। इसी प्रकार जो मोती के हिस्से की भूमि आ.न. 925 रकबा 1/3 हिस्से को मोती ने दिनांक 20.11. 1995 को प्रतिवादी चेना को 4000/— रूपया में बेचकर 5 पांच रूपये के स्टाम्प पर लिखाया जाकर विक्रय की जो प्रदर्श ए 1 है। मोती पिता चेना ने अपने हिस्से कब्जे की भूमि को प्रतिवादीगण को विक्रय कर दी है, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद के माध्यम से भूमि अपने नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है। मोती भूमि बेचने के पश्चात भूपालसागर बस गया जहां 10 वर्ष पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई एवं मृत्यु के बाद विरासत से भूमि उसके वारिसान के नाम पर दर्ज हो गई है।
19. चूंकि प्रतिवादी अपने प्रतिवाद के माध्यम से प्रदर्श ए 1, ए 2, ए 3 विक्रय इकरारनामा के आधार पर एवं दिनांक 20.11.1995 से वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही गई हैं। प्रदर्श ए 1, ए 2, ए 3 दिनांक

20.11.1995 विक्रय इकरारनामा है जो कि पूर्ण स्टाम्प पर नहीं हैं एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हैं। विक्रय इकरार को प्रवर्तित कराने हेतु क्षैत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय का है, इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं हैं। इसी प्रकार प्रतिकूल/पुरानें कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं। सिर्फ धारा 63 (1)(4) राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के प्रावधान ही हैं। आर.आर.टी. 2011 पेज 721 के वृहत्त पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2017 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं होना माना हैं। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जें के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रतिवाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: <u>आदेश</u> :–

परिणामस्वरूप प्रतिवादी सं. 3 से 6 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री बालुराम पिता मोती डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्रीमती रतनबाई पुत्री मोती डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
3. श्रीमती वालीबाई विधवा मोती डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली। .....वादीगण

बनाम्

1. श्री कन्ना पिता धन्ना डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
2. श्री पदा पिता गोदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
3. श्री दल्ला पिता परथा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
4. श्री रामा पिता परथा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5. श्री भगवान पिता भज्जा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

5/1 श्री वेणा पिता भगवान डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5/2 श्री वीरम पिता भगवान डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
5/3 श्रीमती कमली पिता भगवान पत्नी चेना डांगी निवासी विठोली तह. मावली।
5/4 श्रीमती चम्पा पिता भगवान पत्नी बाबु डांगी निवासी बेमाला तह. मावली।
5/5 श्रीमती केशी पत्नी भगवान डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

6. श्री चेना पिता भज्जा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
7. श्री भोलिया पिता लखमा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8. श्री उदा पिता लखमा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

8/1 श्री भेरा पिता उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/2 श्री सवा पिता उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/3 श्री किसना पिता उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/4 श्रीमती देवली पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/5 श्रीमती पुष्पा पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/6 श्रीमती नारायणी पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
8/7 श्रीमती सुशिया पुत्री उदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

9. श्री अमरा पिता वरदा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

9/1 श्री मेघा पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/2 श्री भमरू पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/3 श्री गोपीलाल पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/4 श्री लालुराम पिता अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/5 श्रीमती प्यारी पुत्री अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/6 श्रीमती दलु पुत्री अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
9/7 श्रीमती नानी पत्नी अमरा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।

10. श्री भेरा पिता सवा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
11. श्री चौखा पिता सवा डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
12. भंवर बेवा धन्ना डांगी निवासी सालेराकलां तह. मावली।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
14. श्री चन्द्रप्रकाश पिता गणेशलाल चौधरी निवासी नाहरमगरा तह. मावली।

15. श्री कालुलाल पिता भंवरलाल बंजारा निवासी बंजारा खेडा, नाहरमगरा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 158/08 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 3 से 6 का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.03.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली